THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. You are not Gurudas Das Gupta I suppose.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I. K. GUJRAL): I can assure my hon. friend Mr. Subramanian Swamy that if he is looking for the weak people he is looking in a wrong direction. We will come out and make a statement at 5.30 this evening.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989. Yes, Mr. Minister.

DR. ABRAR AHMED KHAN: Madam, I am on a point of order.

उपसभापति महोदया, महत्वपूर्ण बात है..*

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): Under what rule is he speaking? (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am requesting you to please sit down. I have asked the Minister to get up. Please sit down. (*Interruptions*). Nothing what he is saying will go on record.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Madam, this this is a very important matter and it should be discussed in this House. The hon. Member is raising the matter in this House and you are asking him to sit down. It is a concern of the whole nation. Dr. Rubiya is a concern of...

उपसभापति : बैठ जाइये। मैंने आपसे कहा कि रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। आप कृपया बैठ जाइये **(व्यवधान)**

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Why should it not go into the record? It is a very important matter. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Before I lose my temper you better sit down.

*Not recorded.

CONSTITUTION (SIXTY-SECOND AMENDMENT BILL, 1989

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

उपसभापति महोदया, यह जो संविधान संशोधन विधेयक रखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण और सीधा-सादा है। यह संशोधन प्रस्ताव जो यहां लाया गया है वह समाज के उन वर्गों के लिए है जो हजारों सालों से आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं और इसमें उनका कोई दोष नहीं है बल्कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था रही है **(व्यवधान)** यह पार्टी की बात नहीं है, आप क्यों **(व्यवधान)**

विपक्ष के नेता (श्री पी० शिव शंकर) : मैंने कहा कि जो हजारों सालों से पीड़ित हैं वह एंग्लो इंडियन नहीं हैं **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : महोदया, क्या श्री शिव शंकर जी एंग्लो इंडियंस को निकालने का समर्थन करेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं तो मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि न सिर्फ यह शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंधित है बल्कि एंग्लो इंडियंस के रेप्रेजेंटेशन से भी संबंधित है। इस वास्ते आपने जो बात कही **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आपने ठीक कहा है लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी हजारों साल से नहीं है शड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स आफटर इंडिपेंडेंस बने हैं। इसके पहले अछूत थे, अनार्य थे या दूसरे थे लेकिन जिस तबके की बात हम कर रहे हैं वह समाज में दबा हुआ तबका है जिस

[श्री राम विलास पासवान]

को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कहा जाता है । यह हजारों सालों से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए थे इस में समाज अपनी जवाबदेही को नकार नहीं सकता है आज वह पिछड़े हुए इसलिए नहीं है कि वह पिछड़े हुए थे बल्कि उनको कम्पेल किया गया कि तुम पिछड़े रहो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको पीछे रखने की साजिश चली । और मैं समझता हूं कि आज समाज का और सरकार का यह दायित्व है कि जब पूरे संसार में समता की एक आंधी चली है तो जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको समाज के स्तर पर मुख्य धारा में लाने की कोशिश करें और इसी के लिए, इसी उद्देश्य से ये जो संविधान के निर्माता हैं, जिनमें सभी श्रेणियों के लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, जिन्होंने देश को आजाद कराया था, इनके सामने एक नक्शा था कि जब हमारा हिन्दुस्तान आजाद होगा तो हर तरह की आजादी लोगों को मिलनी चाहिए और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने और हमने संविधान के अंदर जो संकल्प लिया था उसमें यह था कि हम सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक दृष्टिकोण से समाज के दबे हुए जो लोग हैं उनको न्याय दिलायेंगे, सब तरह के शोषण से उनको मुक्त करेंगे । लेकिन यदि आज देखेंगे तो मुझे इस बात का दुःख है कि आज चारों तरफ आरक्षण के खिलाफ एक आंधी चल रही है या बहायी जा रही है। हमको पता नहीं चलता है कि जो लोग पहले विपक्ष में बोलते थे और वे जब सत्ता में आते हैं और उनका जब काम करने का समय आता है तभी क्यों इस तरह की आंधी चलती है... **(व्यवधान)**

श्री एन०के०पी० साल्वे (महाराष्ट्र) : महोदया, माननीय मंत्री जी को जानना पड़ेगा... **(व्यवधान)** माननीय मंत्री जी यह जानकर चलें... **(व्यवधान)**

Madam, on a point of intervention.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Truth hurts you...

श्री एन०के०पी० साल्वे : माननीय मंत्री जी को यह जानना चाहिए कि दो तिहाई लोग आपके विरोध में बैठे हैं यहां पर। हम लोग इस विधेयक का समर्थन करना चाहते हैं... **(व्यवधान)** आप सुन लीजिए मेरी बात... **(व्यवधान)**

श्री यशवंत सिन्हा : क्यों सुनें । जब आपका नाम लिया जाये तब आप बोलिए । ... **(व्यवधान)** आप दो तिहाई हैं तो क्या है कर लेंगे ... **(व्यवधान)**

श्री एन० के० पी० साल्वे : गीदड़ भभकी क्यों दिखाते हो। चुप रहो। I am on my legs. I am not yielding.

उपसभापति : आप लोग बैठ जाइये । वे भी बैठ जायेंगे । Shri Yashwant Sinha, please sit down.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, I am speaking with your permission. बापू साहब आप सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं । I was only wanting to submit for their benefit....

श्री यशवंत सिन्हा (बिहार) : आप धमकी नहीं दे सकते हैं ।

श्री एन०के०पी०साल्वे : सिन्हा जी आप बैठकर सुन लें, हम क्या कह रहे हैं। I was submitting....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now your Deputy Leader is on his legs.

SHRI N. K. P. SALVE: I am submitting for the benefit of the ruling party...

SHRI YASHWANT SINHA: You were not submitting. You were threatening.

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra): You defeat this Bill. We will see.

SHRI N. P. K. SALVE: Dr. Bapu Kaldate, you are a very mature and seasoned politician. Kindly listen to what I have to say. There are compulsions of politics. They must realise this....I am not yielding.

SHRI YASHWANT SINHA: Madam, under what rule is he speaking?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have allowed him. He is on a point of order.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): He is on a point of intervention.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now under what rule are you standing, Mr. Dipen Ghosh? Please sit down.

SHRI N. K. P. SALVE: I seriously protest. I am entitled to protest.

SHRI YASHWANT SINHA: No, you are not when you are supporting this Bill.....Madam, under what rule is he entitled to protest. He can raise a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, it is a very serious matter.

SHRI N. K. P. SALVE: The Minister has yielded.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a very serious matter...Please, let me have my say. I am on my legs. Just a minute, please.....It is a very serious matter. It is a Bill about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the entire House is going to support it. So why is there a noise about it? If he wants to say something to the Minister, let it be there.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, we are supporting this measures.

(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I tell you, this is very unruly. When your Deputy Leader is on his legs, you should respect him, at least.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, I want to make it absolutely clear that we are for this measure, we are supporting this Bill All that I was submitting is, the ruling party would do well to realize that they must ensure our co-operation in every matter. There is nothing wrong ....(*Interruptions*)

DR. BAPU KALDATE: Did you ever try that? Don't try to tell us.

SHRI N.K. P. SALVE: Dr. Kaldate, we did not need your cooperation as you will need our cooperation...(*Interruptions*) That is a reality because we were in a majority in this House. Kindly don't force us to adopt a blocking attitude, no .... (*Interruptions*)....This is very unfair. I appeal to the Leader of the House to ensure, of they want us to support the Bill, if they expect our cooperations...

(*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: The honourable Minister did not say .... (*Interruptions*)....*About the booklet*....(*Interruptions*)

SHRI N. K. P. SALVE: They are on an irrelevant factor. I am addressing to the ruling party; I am addressing to the Leader of the House. ...(*Interruptions*)... Sit down, sit down. ...(*Interruptions*)....You are nobody. Madam, this way the House will not be allowed to be continued—take it from me—if you are not going to listen to what we have to say, just as we are willing to listen to you. Please listen. This is a measure in which you haveour support, but we expect certain cortesies and we do expect a certain restraint to be exercised by your Minister. There is no warrant for him to say anything which is provocative. If he is more restrained and more mature, it would be good for him, it would be good for his party. That is my submission.

(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

SHRI N. K. P. SALVE: The way Mr. Dipen Ghosh is behaving, it seems he does not want the ruling party to function at all. ...(*Interruptions*)... Madam, what is this? Can't I protest?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now the Leader of the House is on his legs. Let him speak.

श्री पवन कुमार बांसल (पंजाब) : मैडम, इनको बता दीजिए कि यह गवर्नमेंट में हैं।

SHRI N. P. K. SALVE: All that I am asking for is more restraint and a greater maturity.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): May I say soething here? My honourable colleague did not mention... (*Interruptions*)... Why don't you listen to us?

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : इनको मिनिस्टर बनाओ, ताकि यह चुप रहे।

SHRI N.K.P. SALVE: Did you listen to us?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I have listened to you. That is why I stood up now. My colleague has not mentioned any party's name. I value the sentiments of my friend, Mr. Salve. We do require their cooperation, and they have already said that they would like to cooperate and support this measure. I reciprocate, but may I say that Mr. Salve should not think that he has the authority or that he is in a position to monitor the speech of a Minister?... (*Interruptions*)

SHRI N. P. K. SALVE: I never said it. I have no authority, but with all himility I requested. ...(*Interrupeions*)

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I do not want to make any insinuation, but don't expect the Minister to stick to your parameters.

SHRI N. K. P. SALVE: You don't expect.... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI P. SHIV SHANKER: Madam,

SHRI YASHWANT SINHA: Tell it to Mr. Salve (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now why are you protesting when your Leader is on his legs? Please sit down. Your Leader is speaking. You should respect him. Please sit down, I say: Don't speak.

SHRI P. SHIV SHANKER: What is deplorable, according to me, is that some of the Members are challenging us that we should defeat this Bill.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Nobody challenged.

SHRI P. SHIV SHANKER: Some of the Members did, Mr. Vajpayee, This is unfair.

SHRI DIPEN GHOSH: I said, "If you have guts, you oppose it."

SHRI P. SHIV SHANKER: This is very unfair. That shows lack of sentiments towards the Bill itself I thought I should go on record to this much extent.

उपसभापति : मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री राम विलास पासवान : उप सभापति पति जी, मुझे दुख है कि जब तक सेंटेंस पुरा भी नहीं हो पाता है, तब तक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाती है। रिकार्ड उठा कर देखें, यदि मैंने एक शब्द भी किसी पार्टी के संबंध में मेंशन किया हो या कहा हो कि आन्दोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, तब आप हमको कुछ कहें। मैं आन्दोलन पर चिन्ता व्यक्त कर रहा हूं। क्या आन्दोलन पर चिन्ता व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है ? जो आन्दोलन पूरे देश में आरक्षण के खिलाफ, रेजर्वेशन के खिलाफ चल रहा है, क्या वह चिन्ता का विषय नहीं है ?..... (व्यवधान) इसलिये उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो यह आन्दोलन चल रहा है चाहे सत्ता पश के लोग हों चाहे विषक्ष के लोग

आन्दोलन आरक्षण के विरोध में चल रहा है, उसकी निन्दा ही नहीं करनी चाहिये, बल्कि यह भी देखना चाहिये कि इस तरह के आन्दोलन देश में चलने नहीं पायें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था और इसमें भी मैंने कहीं पर किसी का नाम का उल्लेख नहीं किया है।.... (व्यवधान)।

उपसभापति : आप बैठ जाइये।

Please don't interrupt. Please sit down.

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति जी, श्री शिवशंकर बाबू लीडर आफ दी आपोजिशन हैं, हम लोगों के बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं इनके सेंटीमेंटस को जानता हूं, इनके जजबात को जानता हूं। हम लोग जब आपोजिशन में थे ऐसे दर्जनों बार मौके आये थे कि जब हम लोग इन सवालों को ले कर जितनी जोर से सपोर्ट करते थे, उतनी जोर से गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी। इसलिए इस चीज को पार्टी के एंगल से देखना भी नहीं चाहिये, मैं तो कह रहा हूं कि जो समाज का और देश का नक्शा है, चाहे हमारी पार्टी पावर में आये, चाहे आपकी पार्टी पावर में आये, इसको फेस करना पड़ता है और इसको फेश करने का एक ही तरीका है कि हाऊस जो सर्वसत्ता सम्पन्न है, यह पार्लियामेंट चाहे लोक सभा हो, राज्य सभा हो, हम लोगों को ऐसे सवालों पर एक जुट हो करके और पार्टी से ऊपर जा करके चलना चाहिये।..... (व्यवधान)।

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is on his legs. Don't interrupt. I will not allow anybody to interrupt because he is on his legs, he is making a statement. Secondly, it is his maiden speech. Have some consideration for it.

श्री राम विलास पासवान : मेडन स्पीच है, लेकिन सरकारी पक्ष से है।

उपसभापति : हमारे हाऊस में तो आप सभी मेडन ही हैं।

श्री राम विलास पासवान : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि जो आन्दोलन चल रहे हैं, उसका इस विधेयक से कोई संबंध है ही नहीं। जो आपका संविधान है, उस संविधान में दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है–सरकारी सेवा में आरक्षण की और दूसरी कैटेगरी है–जो लेजिस्लेचर हैं, जिसमें विधान सभा आती हैं, लोक सभा आती है।

महोदया, आप यदि देखेंगे, तो आपके राज्य सभा में 250 सदस्य हैं, लेकिन यहां कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है और जैसी मेरे पास फिगर्स हैं, उसके मुताबिक यहां राज्य सभा में केवल दो शैडयूल्ड कास्ट के सदस्य हैं और सात शैडयूल्ड ट्राइब्ज के हैं, दो सौ पचास में से।.... (व्यवधान)....

श्री हैच० हनुमनतप्पा (कर्णाटक) यह गलत आंकड़े हैं।

You are speaking from the treasury benches. Don't commit this mistake.

श्री राम विलास पासवान : अगर यह दो के बदल आपके चार हो जायें, पांच हो जायें... (व्यवधान)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You are speaking on behalf of the Government. Your figures should be correct.

चौधरी राम सेवक (उत्तर प्रदेश) आप अपने फिगर्स तो ठीक कर लें... (व्यवधान)...

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : महोदया, यह गलत आंकड़े दे रहे हैं।

उपसभापति : आप करेक्ट आंकड़े दे देना अपने भाषण में।

श्री राम विलास पासवान : महोदया मैं यह कह रहा था, कि जहां-जहां आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वहां-वहां इनकी जो संख्या है, वह नगण्य है और जहां-जहां कान्स्टीटयूशनल प्रावधान है, संविधान में प्रावधान किया गया है, वहां संख्या के अनुपात से उनके आरक्षण का कोटा मिल रहा है। उसी तरीके से यदि आप देखें

[राम विलास पासवान]

तो यह आर्टिकल 330 जो है, लोक सभा में आरक्षण से संबंधित है, आर्टिकल 332 विधान सभा से संबंधित है और आर्टिकल 334 समय की सीमा में रखा गया है। अभी तक पिछले चार दशक से, चालीस साल से आरक्षण का प्रावधान चल रहा है। यह संविधान (संशोधन) विधेयक लाने की जरूरत सरकार को इसलिये पड़ी कि पिछले चालीस साल के दौरान भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इन समुदाय के लोगों को जितना आगे आना चाहिये था, नहीं आ सके .... (व्यवधान)... चालीस साल तक मेरी सरकार नहीं थी।

महोदया, मैं कह रहा था कि पिछले चालीस साल के दरमियान भी जो इनको सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टिकोण से समाज की मुख्य-धारा में, देश की मुख्य-धारा में आना चाहिये था, अभी तक नहीं आ पाये हैं। इसलिये यह संविधान संशोधन विधेयक, अगले दस साल के लिये बढ़ाने के लिये सदन के सामने लाया गया है।

महोदया, मैं यह आग्रह कर रहा था कि यह जो संविधान संशोधन विधेयक है उसका, सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन मिले हुए हैं, उससे कोई संबंध नहीं है और न उसके लिए कोई समय-सीमा है। मैं समझता हूं कि यह जो आंदोलन चल रहे हैं, शायद उनके विभाग में यह बात है कि यह संशोधन विधेयक पोलिटिकल रिजर्वेशन के साथ-साथ सरकारी सेवा के आरक्षण के प्रावधान से जुड़ा हुआ है। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था कि पिछले दिनों से जो अखबार समाचार देते रहे हैं, उससे लोगों को एक ऐसी झलक मिलती रही है कि यह जो अगामा दस साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया जा रहा है, उसमें सारी चीज हैं, सरकारी सेवा भी है और पोलिटिकल रिजर्वेशन भी है। इससे यहां सारी की सारी गलतफहमियां हुई हैं और इनको हम आज इस मानवीय सदन के माध्यम से, संसद के माध्यम से दूर करना चाहते हैं कि यह बहुत ही सीधा सादा, छोटा सा मामला है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो समाज के दबे, कुचले हुए लोग हैं, वे अपने में महसूस करे कि हम समाज की मेन-स्ट्रीम में है, देश की मुख्य-धारा से जुड़े हुए हैं, शासन में भी हमारी साझेदारी है, राजकाज चलाने का जो मामला है, उसमें भी हमको स्थान मिला हुआ है।

महोदया, मैंने इसलिए आपका ध्यान विधान परिषद, कौंसिल और राज्यसभा की ओर आकृष्ट किया कि ऐसी जगहों पर, जहां रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, इनकी संख्या नगण्य है और यही कारण है कि जो एक सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आना चाहिए था, वह बदलाव अभी तक नहीं आया है। मैं इस पर अधिक न बोलते हुए, क्योंकि और भी मौके आएंगे जब अनुसूचित जाति और जनजाति या समाज के कमजोर वर्ग के लोगों से संबंधित मामले आएंगे तब मैं सरकार की तरफ से बोलूंगा और आप सब लोग भी उसमें भाग लेंगे, आप सब से चाहूंगा कि यह जो विधेयक है, जो आर्टिकल 334 में संशोधन कर अगले दस साल के लिए अनुसूचित जाति और जन-जाति और एंग्लोइंडियन के प्रतिनिधित्व देने का मामला है, जो माननीय सदन के सामने रखा गया है, हम सभी साथी एक स्वर से न सिर्फ इसको अपना समर्थन दें, न सिर्फ पास करा दें बल्कि हम लोगों

12.00 NOON को यह जवाबदेही होगी और परम कर्त्तव्य रहेगा कि हम हाऊस के बाहर भी देख कि समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके खिलाफ किसी तरह का आंदोलन न चले। हम लोग यह भी देखें कि हम न सिर्फ कानून को यहां पास कर दें बल्कि कानून की जो मंशा है, जो दृष्टिकोण है उसका सही रूप में पालन हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दृष्टिकोण दिया था उसका हम सब समाज के जो कार्यकर्त्ता हैं, पालन करायें। यह अलग बात है कि कोई मंत्री बन जाता है, कोई एम.पी. बन जाता है, लेकिन कोई जीवनभर काम करता है और एम.पी. या एम.एल.ए. भी नहीं बन पाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और कुछ लोग हैं जो बार-बार मंत्री बनकर आ जाते हैं।

श्री राम विलास पासवान : तो हम सब लोगों का यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि जो संविधान की मंशा है और जो संविधान संशोधन हम करने जा रहे हैं उसके माध्यम से हम हाउस के बाहर भी एक सामाजिक चेतना पैदा करें। एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का माहौल पैदा करें जिससे समाज के हर तबके के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। हर कली को मुस्कराने और हर फूल को खिलने का मौका मिले। किसी को यह आभास न हो कि चूंकि वह समाज के कमजोर तबके का है इसलिए वह आगे न बढ़ सका। सदियों से जो उनके ऊपर यातनायें हुई हैं, हम उन्हें एक रात में धो तो नहीं सकते हैं लेकिन आज समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को पिछड़ा हुआ समझकर पीछे रखा गया है, हम उसे समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करें। मैं समझता हूं कि जब वे मुख्य धारा में आयेंगे तब देश के सर्वांगीण विकास की जो बात हम करते हैं वह सर्वांगीण विकास होगा। नहीं तो जिस तरह यदि हमारा सिर तो एक मन का हो जाए लेकिन हाथ-पांव में लकवा मार जाए तो वह स्वस्थ शरीर नहीं कहलाएगा। स्वस्थ शरीर की पहचान यही है कि शरीर का हर अंग मजबूत हो और उसी तरह समाज का जो कमजोर तबका है उसे मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएं। महोदया, इस विधेयक का एक दूसरा पहलू सामाजिक न्याय से संबंधित है। उसकी दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को ध्वनिमत से पास करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने तमाम साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

The question was proposed.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam Deputy Chairman, I think, I am the first man, who has been disappointed by the speech of Shri Ram Vilas Paswan. (*Interruptions*).... I have not said. I disagree with him. I have said, I am disappointed with the speech of the Minister. Why? Allow me to explain why I am disappointed. Please have patience to listen to me. (*Interruptions*)... I say this because Mr. Paswan comes from the same community, the same caste for which he is supposed to do an unpleasant job of moving this Bill in this House, that is of extending the reservation. There is a proverb which says, only the wearer knows where the shoe pinches, not others. So, Paswan knows where the shoe pinches. Hanumanthappa knows where the shoe pinches. A man who is pinched by the shoe knows where the pain is. I expected a better motion from the Minister.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Motion?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: No, I mean the constitutional amendment. He has supported the constitutional amendment. (*Interruption*). Mr. Vajpayee, you are a senior Member. Don't stand on technicalities. You are a senior man. Don't go into technicalities. I am on my point. Mr. Paswan and I are the people who are wearing a shoe which pinches. That is where I am disappointed by the amendment that he has moved. I want to take him back to the Constituent Assembly discussions. This 10-years is insufficient. We cannot bring them into the main *dhara* as he has put it in Hindi. The amendment moved in the Constituent Assembly was that so long as Parliament did not discontinue it, this reservation should continue. That was the theme and background of the discussions in the Constituent Assembly. Is Mr. Paswan who is a sufferer himself convinced that he will bring them into the main *dhara* with equal opportunities socially, economically and educationally within the 10 years that he has moved for? He is nodding his head. If he is not convinced, why has he not increased the period till the date that Parliament is convinced that these people have come into the main *dhara* and that this should be discontinued It was that amendment that I had expected from

[Shri H. Hanumanthappa]

Mr. Paswan, Don't say that you are doling out something. If you are doing justice, all right. But if you are not doing justice, it is not your right to do injustice...

SHRI V. GOPALSAMY: Why didn't you do it when you were here?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am accepting it,...

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is a very serious discussion regarding backward classes, Harijans and all those people. Eeverybody said it. Let him make his point. Don't interrupt. Nobody should interrupt on either side. (*Interruptions*)

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR (Uttar Pradesh): They cannot be called backward...

THE DEPUTY CHAIRMAN: They are backward, whether they are Scheduled Castes or not. They are backward and that is why we are trying to bring them into the mainstream. When he is making a speech, everybody should listen to him if you are really serious about it.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Mr. Gopalsamy, you are asking why we have not done it. But if we have not done it, it does not mean that you should not do it. If you are not doing it, you will come back here. If you open your session with a determination to come back to this side, then God only should help you...

DR. BAPU KALDATE: We will be here for five years.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Even after five years, all right. But I don't give you that much life, Bapu. But still you are a minority Government sitting there. What are you talking? Where is the mandate?

You are a minority Government.

18 करोड लोगों ने हमको वोट दिया हैं और 5 करोड लोगों ने तुमको वोट दिया हैं। आपको अर्थमैटिक आता हैं न।

If we had made mistakes, you said you will undo what the Congress did. If we have not done a thing, it does not mean that you also should not do it. That is why I expected the new Government which claims to do justice... (*Interruption*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please don't interrupt. Let him make his point.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I will come back to the very words of Mr. Paswan. I am not very well-versed in Hindi. I think he said:

कलियो फूल। आप कांटों के साथ बैठे है, कांटे चुभ रहे हैं। आपको फलने नहीं देंगे, फूलने नहीं देंगे।

If today the anti-reservation agitation started, who are responsible for it? Who are responsible?... (*Interruptions*) ...Friends sitting with you... (*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: You are responsible ... (*Interruptions*)... You people are responsible ... (*Interruptions*)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Friends sitting with you, friends sitting by your side, are responsible... (*Interruptions*)... Just a minute... (*Interruptions*)... Please put your hand on your heart and answer this: Has not your leader said that the reservation policy has to be reviewed, that only reservation on economic grounds will be given and that only one man from each family will be given a job?... (*Interruptions*)... Have they not said this ... (*Interruptions*) ... Don't disturb the process... (*Interruptions*)... आप पहले सोचिए आप किसके साथ बैठे है देवीलाल जी कहां है, चन्द्रशेखर जी कहां हैं आप कहां जा रहे हैं दो तीन दिन पहले पूरी के शंकराचार्य भी यही चह रहे हैं।

Reservation in administration will bring down the administraton. Will you accept this?... (*Interruptions*)... Will you accept this, Mr. Paswan?... (*Interruptions*)... They are your friends or your associates. They are your associates and you have depended on their votes... (*Interruptions*)... and it is on their votes, on the votes of these people that you have come to power, the votes of those

people who have no confience in them, who have no commitment to the people or the weaker sections. You are sitting in their company and that is why I am telling you this. I am very much disappointed... (*Interruptions*)... If you want to make any claim, if you want to claim any credit, I would like to tell you one thing. After all, this political power is not an end in itself.

SHRI YASHWANT SINHA: Since When?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: It may be an end to you to rule this country. But ruling is not for the purpose of ruling only. But it is for improving the conditions of the people. If you are given the power for making reservations for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in Parliament and Legislatures through a Constitutional amendment for ten years, it is for the purpose of improving their conditions, it is for the purpose of bringing them to the main *dara*, as you say, socially, educationally and economically, and we should bring them. But what is your agenda? What does it say? Yesterday, you have given an agenda to the country. The President has said that his Government is still thinking about the policies, this and that, and that it is not being able to come out with a programme, but still an agenda is being given. But what is the agenda that you have given? You have given just one para and it is only a repetition. It says: "The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes continue to be the victims of social and economic injustice. The Government's primary aim will be to ensure economic and social justice to them so that they can lead their lives with dignity and honour. The reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the legislatures will be extended by a further period of ten years." This is all what you have said... (*Interruptions*) I come back to it. This is only a sermon. This is the Bible, the Gita, the Koran. All right. But what is your plan of action? Nothing. Nothing is said about the action plan.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Nothing is said about the plan of action... (*Interruptions*)... It is only a rolling plan!

SHRI H. HANUMANTHAPPA: No plan of action at all!... (*Interruptions*) ...Uuless you come out with a plan of action, how will you emancipate them, and how will you bring them to main *dara*?

कली को खिलने के लिए आप क्या कर रहे हैं ; How will you allow them to come up? Without water?

उसको गोबर डालना है, उसकी हिफाजत करनी है, उसको दाना डालना है, तभी तो वह खिलेगी, फूलेगी फूलेगी ... (व्यवधान)

You have not taken that precaution. You have not come out with an action plan explaining as to how you will bring them to the main *dara*. I am asking you particularly, Mr. Paswan... (*Interruptions*)... I am sorry, it should be Mr. Paswan. I am sorry. I am not very well versed in Hindi. There is something wrong with it. Mr. Ram Vilas Paswan, I was telling you that this is a power given to the people to follow up with programmes and actions so that they can come into the mainstream of the society. What is the programme that you are having? If you claim that the Congress has not done this and that all these days, you are giving a new Government and the people have given a verdict in favour of change, then what is the change that you are bringing about? If the old, wine is going to be filled up in a new bottle, is it going to be a change? At least I expected that thing from Mr. Paswan. That is why I say that I am very much disappointed by Mr. Paswan's amendment. I will go back a little. I and Mr. Paswan... (*Interruptions*) In my language the last letter is spelt full and not half. Therefore, we call 'Paswan' as 'Paswana'. We do not have half letters. So, I pronounce it fully.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Also he does not like half measures. That is why he is speaking today.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: It is the political strength. I will take you back to the Constituent Assembly debates. Mr. Mohan Das, an hon. Member from West Bengal, while arguing for reservation, said:

> "It is the political strength, it is the political power, it is the part played by the administration of the country, it is the influence you wield, it is the voice you have got in the administration of your State, it is these things that will give you protection of your life and property and protection from tyranny and oppression."

So, the power that we are giving today under this Constitutional Amendment has to give protection to life and property and protection against tyranny and oppression. I would have very much appreciated if they would have come out with such an action plan and told the country that so far the Congress has neglected and the Congress has not done it and, therefore, we are here with an action plan. They should have said that we are going to improve the condition and this is the action plan. I still urge upon the hon. Minister that while replying to the debate he should spell out the action plan which will justify this Constitutional Amendment only for ten years. Otherwise I politely request them to accept my amendment. Ten years may not be sufficient whichever may be the ruling party. So, let us be magnanimous and extend this Constitutional Amendment till the Parliament is conviced that these people have come into the mainstream Only on that date the Parliament can decide to restrict it. I earnestly appeal that the hon. Minister should consider this suggestion, accept this amendment and come out with a reply to show to the people of this country, to show to the weaker sections of this country who have, by mischievous propaganda or by mistake, have voted some percentage to you, that you are for them. Don't give them a chance to regret. Come out, open your mind and tell the people: You have given us this mandate. Even though it is a minority mandate. we are going to do some generous job. I accept Mr. Paswan to accept my amendment and come out with an action plan.

Without giving into the details, I would tell the House that Mr. Paswan and myself were participants in a debate before the I.A.S. and I.P.S. Officers. Many points came up between us on that date. He is committed to this cause. That is why I expected something more which he should be able to deliver. But unfortunately, as I told earlier, he is sitting in a wrong company where he cannot realise his dreams. (*Interruptions*) I do not want to mention the names. I have already said Mr. Devi Lal, Mr. Chandra Sekhar and even Puri Shankaracharaya. I have brought him on record. There is a proverb in English: Tell me your friends, I shall tell you what you are. Paswanji, I am reminding you this proverb. Tell me your friends, I shall tell you what you are. Unfortunately, as I said earlier, you are doing an unpleasant job. You are not in a better company. Your company will not allow you to realise your dreams...

AN. HON. MEMBER: What is your company? Bofors?

(*Interruptions*)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Let me answer. My company is good. (*Interruptions*) If at all you have got a chance to move this Constitution (Amendment) Bill for further ten years, it is the opportunity given by this Congress Party. Why do you forget that? It is this Congress Party which has decided, which has recognised the weakness of the society, and what you said लकवा मार गया हैं, लेकिन कांग्रेस ने ही काम किया हैं। The ball of progress or the motion has been set by the Congress. So, you cannot blame my company. Last time, you had come and you did not do it. You allowed us to do it. This time, you you are doing it. We expect that let it be an honest effort. Be honest in your efforts. (*Interruptions*) Be honest. Mend your friends before asking us to support. Mend your friends. Let there be a correction statement. For the last ten days, I am

waiting that there can be correction. Nobody has corrected the statements. With what hope, with what aspirations, Mr. Paswan, are you coming here with this Constitutional Amendment when your people, when your so-called leaders still have their reservations about this Reservation policy? You have said very well. It does not affect the reservation in the Services. That is a different thing. What is the company that you are sitting with? Your people are instigating these agitations. And your people say, one man from each family, and economic criteria should be there. All right, I am economically sound. Mr. Paswan is a Minister today. Is *he socially equal? I go back. The present* Finance Minister Mr. Madhu Dandavate and we were sitting in the Home Ministry Consultative Committee meeting. Maybe, Vajpayee will bear me out. In that Committee meeting, when Mr. B. P Maurya, raised the point that the reservation should come to a close some time, then Mr. Madhu Dandavate and I put a question. But, today, even after these 40 years, is it that a Scheduled Caste man, may be a graduate, may be an officer getting a rented quarter in an upper class colony...

AN HON. MEMBER: Not at all.

SHRI H. HANUMANTHAPPA ... paying Rs. 100 more? राम विलास पासवान जी, आप जानते हैं कि आज भी Even a Class I officer is not allowed to use the washing toilet in the offices. You have an example with you. Is it bringing to the 'main dhara'? Will you take action immediately? You remember a story? When an officer is transferred, he goes to the new office. He goes from Delhi to somewhere else. All the staff were standing and he was to be introduced to all the members of the staff. But the moment they come to know that he is a Scheduled Caste man, they does not extend the hand, they withdraw... ...

SHRI K. G. MAHESWARAPPA (Karnataka): Be specific. Don't be general.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Please go through the Report which is tabled in House. (*Interruptions*) Mr. Maheswarappa, you must know that I am also an equally elected Member of this House. I am a responsible Member. I am speaking with responsibility. If you want, I can pass on to Mr. Paswan. Mr. Paswan knows these things. You may not be knowing. Mr. Paswan knows these things.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर (हरियाणा) : आज तो आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं .... (व्यवधान)

SHRI MIRZA IRSHADBAIG (Gujarat): This is the attitude of your company.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Tell Mr. Devi Lal to correct his statement. (*Interruptions*)

श्री हेच. हनुमनतप्पा : हमारे पास दिल से बहाने के लिये आंसू हैं, आपके पास वह भी नहीं हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY: You are going against the President's Address.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: हमारे पास आंसू हैं, बहाने के लिये।

In terms of the Scheduled Castes you do not have even tears. At least, we have shed tears.

I was just giving the example of a Scheduled Caste Officer, who was not able to shake hands. There is the case of an income-tax officer. If you like, I will give the name to the Minister. I do not want to take the name here in the House. There was an income-tax officer. He was transferred to another office. He is a Class I officer. But he was not given a sitting place for two months. These are the things.

इसके लिये आंसू बहाना नहीं है। You that you want to bring them to the main dhara. But these are the things. This re-servation will not turn them overnight.

A High Court Judge goes to a district place as an inspecting judge, but the District Judge does not receive him because he is a Scheduled Caste Judge. Is there anything more shameful than this? And you talk of judiciary and independent judiciary.

AN HON. MEMBER: What happened during your regime?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: All right, I will come back to you. I am from down south. I am giving you the example of K. R. Punia. He was a Divisional Commissioner. He resigned and he joined you. You gave him a Ministry. Ask his experience. Why he had to part company?

उधर आंसू भी नहीं थे देवीलाल के पास ।
इसलिये उनको मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी ।
उनके पास सिर्फ लाठी थी, आंसू नहीं थे ।

While supporting the amendment, I request the Welfare Minister to ponder over these problems, which he knows very well. If you can influence your company, it will be a good thing. If you bring forth a better amendment, we will certainly support it. When you introduce this thing, we clapped for it. But go a little further. This is an amendment any Minister could have brought forward. Any Minister could have been pleased to bring forth this amendment. But a Minister coming from the same community should have done something better. I know it is an unpleasant job for you and for me. It it an unpleasant job to plead for reservation for my community. It is equally unpleasant job for Paswanji. But unfortunately we have been driven to the extent. It is not the Members sitting here who have been responsible for it. It is our customs. I do not blame anybody sitting here. But this has been inherited by us. You have promised that you will give a changed Government, in a change situation. Show this change from the first day. Agreed that on the first day of a Scheduled Caste Minister has been asked to move this Resolution. Perhaps, may be, after Dr. Ambedkar. Let us check it up. Anyway. So we want something more.

By the time you reply, I expect something more in th form of action plan and something more in the form of accepting my amendment. If you want to claim that we are different from the Congress, that we are different from the party which has ruled all these 40 years, that we are coming nearer to the people to ameliorate their condition, that you will see the changed atmosphere in the country, then I expect something more from Paswanji. Thank you. I expect Mr. Paswan will react to it.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदया, मैं इस देश की जनता और इस के मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है, उसको संविधान के बासठवें संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का मौका दिया, जिसके जरिये संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया जा रहा है। पिछली बार 24 जनवरी, 1980 को लोक सभा द्वारा और 25 जनवरी, 1980 को राज्य सभा द्वारा यह संशोधन विधेयक पारित किया गया और सभी माननीय सदस्यों को विदित ही है कि हमारी जब संविधान सभा बनी, तो उससे पहले एक उपसमिति बनी थी। उस उपसमिति ने फैसला लिया था कि हमारे समाज में वर्षों से जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग थे, पिछड़े हुए लोग थे, जिनको उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता था, उनके लिये संविधान में कोई विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये और इसी परिवेश में संविधान के अनुच्छेद 15 की उपधारा 4 और उसके बाद संविधान की 330 से लेकर 337 तक इसका प्रावधान है। हमारे समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामाजिक दृष्टि से और साथ-साथ शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी व्यवस्था हमारे संविधान में है और हमारे मंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। उसके बाद

जब संविधान सभा के सामने मामला आया और उसका अनुच्छेद था 295 (ए) जो बदल कर के 334 हुआ। इसके बदले इसके पहले कि मैं इस पर चर्चा करूं मेरे योग्य मित्र हनुमनतप्पा जी यहां बैठे हैं, उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया, लेकिन मैं इस सदन को जानकारी कराना चाहता हूं। डा० भीम राव अम्बेडकर का जो अनुभव है, जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी आत्मकथा में की है। मेरे लायक कांग्रेस के मित्र जो कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने आई०ए०एस० अधिकारी और हाई कोर्ट के जज की चर्चा की है। यह हमारे देश का मानस है, इसको हमें बदलना पड़ेगा।

श्री हेच० हनुमनतप्पा : इसके लिये कोई प्रोग्राम लाइये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आवेगा।

डा० बापू कालिदास : दो दिन में कैसे आ सकता है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : डा० बी० आर० अम्बेडकर जिस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते थे, छोटे थे, कितने विद्वान थे, यह सारा देश जानता है, लेकिन जिस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते थे, उस विद्यालय में पीने के पानी के संबंध में उनका जो अनुभव वह कितना कटु है, उसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"I would like to tell you some of the reminiscenes of my childhood. There was a Maratha woman employed in my school. She was herself quite illiterate but observed untouchability and avoided touching me One day, I remember, I was very thirsty. I was not allowed to touch the water-tap. I told my master that I wanted to drink water. He called the peon and asked him to turn the tap for me. So, the peon turned on the tap and I drank water. Whenever the peon was absent, I had to go without water. Thirsty, I had to return home and then only I could quench my thirst."

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए]

यह अनुभव है उस व्यक्ति का जो बैरिस्टर था जिसने अंग्रेजी से लड़ाई लड़ी। वह देश की आजादी की लड़ाई में भी शरीक हुए थे। उस समय जो बम्बई की विधान परिषद थी उसके सदस्य थे। हमारी संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। इस देश के संविधान को बनाने मे उनका हाथ था और जब यह देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहर लाल नहरू जी की मंत्रिपरिषद् में कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने होते हुए भी जवाहर लाल जी ने उनको विधि मंत्री के पद पर नियुक्त किया था। दूसरा अनुभव भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो खुद मेरे सामने हुआ। मैं इसको अपना दुर्भाग्य कहूं या क्या कहूं कि मैं उस जाति या वर्ग से नहीं आता जिसको यह कटु अनुभव है। बात 1978 की है। वाराणसी में डा० सम्पूर्णानन्द जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे स्वतन्त्रता सेनानी थे बड़े विद्वान पुरुष थे उनकी प्रतिमा का अनावरण था संस्कृत विश्वविद्यालय के सामने मैं उस समय उत्तर प्रदेश में एक मंत्री था। बाबू जगजीवन राम उस प्रतिमा का अनावरण करने गये थे और बाबू जगजीवन राम आप जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी थे कितने विद्वान थे उच्च से उच्च पदों पर रहे। लेकिन डा० सम्पूर्णानन्द जी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जब वे बिनिया बाद को सार्वजनिक सभा को चले गये मैं भी चला गया तो दो घंटे के बाद मुझ को जानकारी हुई कि कुछ लोगों ने डा० सम्पूर्णानन्द जी की उस प्रतिमा को गंगा जल से धोने का काम किया। यह इस लिए कि उस प्रतिमा का अनावरण बाबू जगजीवन राम जी ने किया था यह कितने शर्म की बात है। तो आज हमको इस मानस को बदलना है। इस चिंतन को बदलना है। यह जो सड़ी गली व्यवस्था है इसको बदलने के काम में हमको लगना है...

श्री वीर भद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : उसका नेतृत्व कौन सज्जन कर रहे थे...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: मैं उस बहस में नहीं जाता मैं आपसे बाहर बात कर लूंगा। आप हमारे पुराने मित्र हैं। केवल दो घटनाओं की चर्चा मैंने इसलिए की . . .

श्री वीर भद्र प्रताप सिंह: बात यह है कि एक बड़े भारी समाजवादी चिंतक उसका नेतृत्व कर रहे थे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो सड़ी गली व्यवस्था है इसको बदलने का काम हमको करना पड़ेगा। इस काम को न राम विलास पासवान कर सकते हैं न वे लोग कर सकते हैं जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, इस काम में सारे राष्ट्र का, उस तरफ के जो लोग हैं उनका भी हमें सहयोग चाहिए और जब आपका सहयोग मिलेगा तभी हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुचचित जनजाति के भाई हैं उनके साथ सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और राजनैतिक न्याय भी होगा। आज जो हमारे देश में आरक्षण है जो संशोधन विधेयक राम विलास जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें जो इसके उद्देश्य और कारण हैं उनमें यह कहा है कि --

the reasons which weighed with the Constituent Assembly for making provisions in regard to the afforesaid reservation of seats and nomination of members, have not ceased to exist.

सन् 1948 में जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय जो हालत थी वही हालत आज है और इसमें जरूरी है कि यह संविधान संशोधन विधेयक एक मत से एक ध्वनि से सर्वसम्मति से आज यहां पर पारित किया जाये संविधान का किसने निर्माण किया था? जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके दिल में दर्द था अपने देश के प्रति और अपने देश के करोड़ों लोगों के प्रति और उन संविधान निर्माताओं ने जो एक व्यवस्था रखी उस व्यवस्था को उनके आगे चलने देना चाहिए और मैं यह समझता हूं कि आरक्षण का जो लोग विरोध कर रहे हैं, यह सही है कि वे सेवाओं के संबंध में विरोध कर रहे हैं लेकिन वे न केवल गुमराह हैं बल्कि ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं और ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को समाप्त करने के लिए हमको और भारत सरकार को आपके सहयोग की भी आवश्यकता होगी।

आज लोक सभा की कुल 544 सीटें हैं जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 79 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 सीटें आरक्षित हैं। इस प्रकार से कुल 119 सीटों का आरक्षण है और जो विधान सभाएं हैं या जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केन्द्र शासित प्रदेश उनमें 3997 सीटें हैं आज की तिथि में जिसमें से 557 अनुसूचित जातियों के लिए हैं तथा 315 अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार से कुल 872 पदों का आरक्षण है। इस बात में कोई विवाद नहीं है और मुझे पूरी इस बात की आशा है कि सारा सदन इस संबंध में एक मत है लेकिन इस संबंध में जब एक बार संविधान संशोधन विधेयक शायद 1953-54 में लोकसभा में पुनः प्रस्तुत हुआ था, किसी दूसरे विषय में, तो उस वक्त श्री गोविन्द बल्लभ पंत गृह मंत्री थे और उनका जो भाषण था उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं जो इसी विषय पर था--

'It is not only a question of conferring economic benefit or working for educational advancement or the like. There is something more involved in it and to me the main question is as to how to revive the suppressed soul of the Scheduled Castes."

अतः जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी आत्मा जो दबी हुई है, कुचली हुई है उसके उठाने का सवाल है, उसके उत्थान का सवाल है और यह हम सब लोग करेंगे हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 338 है उसमें इस बात की व्यवस्था है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होगा जिसको कमिश्नर आफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स

कहते हैं। मैं उसकी रिपोर्ट का उद्धरण पढ़ रहा था तो मुझे यह जानकारी हुई कि करीब 7 साल तक यह पद रिक्त था और इस पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गयी। 24 नवम्बर, 1981 से लेकर 10 नवम्बर, 1986 तक हमारे संविधान में जो एक पद है, यह पद रिक्त था। सात साल तक यह पद रिक्त था और उसके कारण साल तक हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है कि नहीं, या आरक्षण के सिलसिले में जो उनको सुविधाएं प्राप्त हैं, वह उनको मिल रही है या नहीं उस काम को देखने के लिए जिस अधिकारी का यह काम था, उसकी नियुक्ति नहीं की गई।

24 नवम्बर, 1981 से लेकर 10 नवम्बर, 1986 तक इस देश के केन्द्र में किस दल की या किस व्यक्ति की सरकार थी? इस बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, इस बात की मांग करते हुए वर्तमान सरकार से भी कि जो कमिश्नर का पद है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।

आपने घोषणा की है कि जो योजना आयोग है, इसको हम संवैधानिक दर्जा देने का काम करेंगे। यदि तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी संवैधानिक दर्जा इस अधिकारी को दिये होती, तो सात साल तक यह पद रिक्त नहीं रहता। इस प्रकार से भविष्य में कभी यह पद रिक्त न रहे, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

अब इस देश में आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल रहा है, गुमराह हो गये लोग—कौन लोग आरक्षण के पीछे हैं, यह मैं नहीं जानता हूं .... (**व्यवधान**) लेकिन यह सत्य है कि जो लोग गुमराह हैं, वही आन्दोलन कर रहे हैं। उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि संविधान में जो संशोधन लाया जाएगा, वह केवल राजनैतिक आरक्षण के लिए है, विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों के लिए है, या हमारे जो एंग्लो-इंडियन भाई हैं, उनके सिलसिले में जो नामांकन होता है, केवल उनके लिए है। लेकिन आरक्षण हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सरकार को चलने नहीं देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। तो आरक्षण तभी समाप्त होगा जब इस देश में राष्ट्रपति का लड़का, इस देश के प्रधान मंत्री का लड़का और हमारे इलाहाबाद की नगरपालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके लड़के एक ही साथ एक स्कूल में बैठ कर के शिक्षा प्राप्त करने का काम करेंगे। जब तक यह नहीं होगा, तब तक आरक्षण हमको चलाना पड़ेगा, वह आरक्षण चाहे राजनैतिक आरक्षण हो, वह आरक्षण चाहे नौकरी का आरक्षण हो, या वह आरक्षण बैंक से लोन लेने का हो या पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग का हो।

मैं इस सिलसिले में यह भी बताना चाहता हूं कि आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मालवीय जी, आपकी पार्टी का बीस मिनट का समय है और वह आपने ले लिया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : कितना ले लिया है?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): तीस मिनट।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। पहली जनवरी, 1986 को जो स्थिति अखिल-भारतीय सेवाओं के संबंध में थी, मैं वह बताना चाहता हूं, क्योंकि यह कह दिया जाता है कि उपयुक्त व्यक्ति, योग्य व्यक्ति मिले नहीं और उनकी जगह दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जाता है, या उस पद को रिक्त किया जाता है। जो आल-इंडिया सर्विसेज हैं, उनके सिलसिले में राजाज्ञा है कि 15 प्रतिशत आरक्षण तो होना चाहिए अनुसूचित जाति के लिए और 7.5 प्रतिशत होना चाहिए अनुसूचित जनजाति के लिए। अब पहली

जनवरी, 1986 को क्या पोजीशन थी--- इंडियन आडिट एंड अकाउंट्स के लिए कुल संख्या 609, अनुसूचित जाति 45, प्रतिशत 7.5, यानी जितना होना चाहिए उसका आधा, आधे से भी कम अनुसूचित जन-जाति 19, प्रतिशत 3.1, आई. पी. एस.---2367 कुल संख्या, अनुसूचित जाति के 267, प्रतिशत 11.3 और अनुसूचित जन-जाति 93, प्रतिशत 3.97। यह दो उद्धहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि पीछे जो हुआ सो हुआ । जिन्होंने गल्तियां की, उनको जनता ने सबक सिखा दिया । अब इन गल्तियों को दोहराया नहीं जाएगा । जो संविधान निर्माताओं की मंशा है, जो इस देश के करोड़ों लोगों की मंशा है और इस देश की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास के जरिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं, इनको भी पूरा संरक्षण मिले और सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय मिले।

मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं यह सोच रहा था कि शायद जो पिछली सरकारें थीं ऐसे ही एक राज्य सभा में कोई आरक्षण यहां पर नहीं है लेकिन केवल मैं जानकारी में लाना चाहता हूं कि केवल आर्ट लिटरेचर के व्यक्ति ही अगर नामांकित किए गए होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब से हमारा संविधान बना है तब से पहला नामांकन हुआ डा० जाकिर हुसन का और अंतिम नामांकन श्री मोहम्मद यूनुस का हुआ, जो इस सदन के आज भी सम्मानित सदस्य हैं और इस प्रकार कुल 76 सदस्यों का नामांकन आज तक सरकारें कर चुकी हैं । इन 76 का नाम मैंने पढ़ा, इनमें एक भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं है।.... (**व्यवधान**) नामांकन में, नोमीनेशंज में अंडर द प्रोविजन आफ आर्टिकल 80 आफ् द कंस्टीट्यूशन... (**व्यवधान**)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: We nominated 15 persons. It is on record. There are 15 people without even nomination.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इसलिए संक्षेप में मैंने अपनी बात को रखा कि हमारी जो मंशा है उसमें किसी को शक-शुबह नहीं करना चाहिए और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि हनुमनतप्पा जी ने भी जिन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है उससे सदन सहमत हो या न सहमत हो लेकिन कम से कम मैं अवश्य सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री पी० शिवशंकर : सदन कैसे सहमत नहीं है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या कहा ?

श्री पी० शिवशंकर : सदन तो सहमत है । सदन सहमत हो या न हों आप यह बात मत कहिए, सदन तो सारा सहमत है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैंने तो कुछ बातों में कहा है ।

श्री पी० शिवशंकर : क्या बात है ?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Kindly listen. Mr. Hanumanthappa said that the present Minister of Labour and Welfare belongs to a Scheduled Csate. He also said that he himself belongs to a Scheduled Caste. But I don't belong to a Scheduled Caste.

SHRI P. SHIV SHANKER: So what?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I don't belong to a Scheduled Tribe, Caste, I don't belong to a Scheduled Tribe. इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं इसका व्यक्तिगत भुक्तभोगी तो नहीं हूं, लेकिन मुझे इसका कटु अनुभव है और ऐसा अनुभव सारे सदन और सारे राष्ट्र को होगा। इसलिए सर्वानुमति से मेरा कहना है कि बिना किसी विवाद के, बिना किसी कड़वाहट के और बिना किसी होट के इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri Sukomal Sen.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Mr. Vice-Chairman, I want to seek just a one-sentence clarification. When I say that Mr. Paswan and myself belong to the same community, it does not mean that the other Members belonging to other communities are against this reservation.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: That was not my intention. If I said it, I withdraw it.

DR. BAPU KALDATE: No, no, it is not that. He only explained it. There is no problem. We belong to you. Accept us !

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989 moved by the honourable Minister. Mr. Paswan.

Sir, the reservation is for ten years, for political reservation, for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliament and State Legislatures. I fully support it.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Mr. Vice-Chairman, Sir, let us understand what the position is.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, my three minutes have been taken away.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: No, no, just one minute. Sir, even though the Janata Dal is a minority, it has formed the Government with the support of others. So, they cannot be considered as Opposition. After the ruling party, the chance will come to the Opposition parties. They are an ally. So, they should take the time out of them. So, the Opposition should be called now. It is a matter of procedure.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Sen, please continue.

(*Interruptions*)

SHRI SUKOMAL SEN: You have spoken very strongly ! ... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He is in the Opposition ... *Interruptions*)...

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, while supporting this Amendment Bill, I would like to go back to the debates in the Constituent Assembly for a while. While moving for this provision in the Constitution, Dr. Ambedkar said that it was for ten years, and on what basis? In 1947, one Minority Advisory Committee was set up and, on the recommendation of that Committee, this provision was added to the Constitution—and Dr. Ambedkar moved it. Now, Sir, in the recommendations of that particular report of that Minority Advisory Committee, it was clearly said that this political concession for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes was necessary because the standards of education and material well-being of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes even compared to the Indian standards, were extremely low. Moreover they suffered from grievous social disabilities. It was presumed after the Constitution was adopted in 1950 that though only for ten years this reservation was mooted, by these ten years or as early as possible these girevous inequalities from which the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes were suffering would be removed and wiped out.. That was the expectation at that time when the Constituent Assembly met in this august Parliament.

Now, Sir, the point is that though it was originally mooted for ten years, it was ultimately extended up to 40 years. Now we are going to extend it up to 50 years. Now my hon. colleague from the Congress side has said that he had a little amendment that this extension should be for unspecified period, till the lot of this group of people improves and it comes on the same standard that other people of this country have. Sir, my point is that for the last 40 years we have waited for improvement of the lot of this group of people, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. But what is our experience? Our experience is that during these last 40 years very little has been done to materially improve the lot of these people. To improve their social status, their economic status very little has been done.

In the Constituent Assembly itself when this proposal came up, several Members said that it should not be ten years but

it should be more because they anticipated that for improvement of the lot of this group a longer period would be necessary. At that time, Dr. Ambedkar himself said while replying to the debate that he was not against a longer period of reservation but that since no representative from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes raised the issue, he was unable to moot an idea for longer reservation from his own side. So, it was done. Perhaps, at that time the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes representatives who were in the Constituent Assembly were having euphoria that since India had got independence and the Congress Party was ruling India perhaps under the Congress rule their lot would improve and that ten years' time was sufficient for the improvement of their lot. Perhaps, Dr. Ambedkar also could not visualise that such a worthless political party would rule the country for 40 years and that by that time the lot of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes would remain almost at the same level as it was at the time of the independence.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: The position is not different in West Bengal also.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): The record shows.

SHRI SUKOMAL SEN: West Bengal is not outside India.

SHRI DIPEN GHOSH: You were ruling the country for the last 40 years. The responsibility lies with you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Barring three years. Don't forget it.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, the point is that our Constitution contains not only these three articles, article 330 making reservaion for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people in the House of the People. Article 331 for the Anglo-Indian community and article 332 for the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies, but it contains a package of articles for the improvement of the lot of this group.

But what about the implementation of those articles in the Constitution? What has the earlier Government done? That is the point. Nothing has been done. Only during the elections this bait of reservation is dangled for weaker sections for catching their votes. Even, Sir, it is our experience that when the election came round the corner, the earlier Prime Minister himself declared that the rservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in Parliament and Legislative Assemblies would be extended for ten yars more. Unfortunately, he could not come back to power. This responsibility has devolved on the new Government to extend it for further ten years.

I differ with Mr. Hanumanthappa on extension for an unspecified period because I hope that this Government will not follow the policies and methodology of the earlier Government because for 40 years they could do nothing. This Government has been given a mandate for five years. I would expect that within five years they will do something tangible so that the weaker sections will feel that really their lot has improved, their social status, their economic status has improved.

They should prove it by their work in the next five years. The basic problem is that our social system, our economic system, our economic disparities, the land system... (*Interruptions*) Please don't interrupt. Please listen. It is for your benefit also. What is the cause of this malady in the society? It is the remnants of old fuedal land system which still exists in our country. The earlier Government failed to demolish the fuedal system and the most condemable caste system.

Now, Shri Hanumanthappa has said that he and Paswan belong to the Scheduled Caste and others are from other castes. But I can say that I am a casteless person. I neither belong to this caste or to that caste because I don't believe in casteism. The feeling of casteism must not be permitted by this Government. It was

sustained by the earlier Government for the last forty years. On the other hand they have sharpened the caste system in the country. What has been the experience of Paswan's own State—Bihar? Why is so much caste strife there? Why have these weaker sections been oppressed? Why have their houses been burnt? It is because of the active feudal land system —Zamindars and land-holders. They are organising private armies. They organise massacre on this eve of elections. It is they who are doing it. And who are those people? They are the ones who voted for the Congress from the first election till the last election. Their aim is to vote for the Congress. They are the Congress belt. That is why the ruling party did not dare to touch their hair? How can they, when they are their support base? Therefore, they could not abolish the fuedalism completely because feudal base is their political suport base. That is why they did not touch them. Therefore, I would ask the Government that they should not follow the path of the earlier Government. Already in the President's speech, the Government has enunciated its policy that it will bring the land reforms in the Ninth Schedule so that it is free from court litigations. It is a good step. They should see to it that Land Reforms Acts in different States are implemented properly and thoroughly and without any hindrance.

My friend has been asking what has been done in West Bengal. Yes, in West Bengal it has been done. It is the only State where whatever is possible and permissible under the Constitution has been done. Nothing has been left undone in that State.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Karnataka has also done under the Congress rule.

AN. HON. MEMBER: Under the Janata Government we had also done.

SHRI SUKOMAL SEN: Many agencies, including the foreign agencies, which have come in this country, have lauded the land reform measures in West Bengal. I expect our hon. Members on the other side should have read all those reports also to know how they have praised and lauded the land reform measures in our State. That is why I say why caste strife is there so much in Bihar while it is not there in West Bengal? What is the reason? Indians are Indians wherher they live in West Bengal or in Bihar. It is because the land reforms have been implemented and caste strifes have been suppressed there. It has been ameliorated in a different way. It has not been suppressed there by force, but has been done through education, by raising the cultural, social and economic standard of the people. That could have been done in other places also, particularly in the State from where our hon. Minister comes.

That is why while supporting this Bill that it should be done for ten years more, I would say that the other package of measures as are enunciated in the Constitution must be implemented properly. There is a Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission. What has it said in its Seventh Report? It has said that it has made a study of the disabilities and sufferings and miseries and inequalities from which these groups suffer, but is unable to take any proper step for implementing its recommendations. They have submitted it to the Government. It depends on the Government's political will whether they will implement the recommendations of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission's Report. So many reports have been submitted to the last Government during the last forty years. What has the earlier Government done to implement them? That Commission does not enjoy a Constitutional status. That Commission has suggested a number of economic measures also. They can suggest but they 1.00 P.M cannot implement it. The implementing authority is the Government. In our country, we have got so many constitutional provisions. We have the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Commission. They have made a number of recommendations but because of the worthlessness of the previous Government because of the lack of political will of the Government, because the Government did not want to touch the hair of those

[Shri Sukomal Sen]

rural feudals. The people who sustain this caste system, the people who sustain caste differences, sat idle and could not implement those reports and that is why, I would request this Government that they should take a different look at the problem and should forget whatever has been done during the earlier period. On the contrary, they should see to it that the measures which are really necessary for the material well-being of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people should be implemented and steps should be taken by this Government, not by the next ten years but by the next-five years to solve this problem. By the next five years, it should see to it that tangible results come up and the people feel that the Government has really done something for them and let us hope that after ten years, this Parliament will not have to debate about this matter any more. This should be the last debate in Parliament for reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people in Parliament and in the State Legislatures because if they come up at the same level with the other castes, other people, what is the necessity of reservation? The same issue was raised in the Constituent Assembly. Because of the inequalities, this provision has been inserted and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people, their representatives in the State Assemblies felt embarrassed when they raised the question of reservation. It is really a question of embarrassment for a representative of a particular community to demand for a particular community a special political concession. It should not be so and the responsibility lies with the majority people who have a different economic and social level compared to the weaker sections who constitute one-fourth of our people. Three-fourths people belong to other sections. It is the responsibility of the three-fourths section of the people to see to it that the one-fourth section comes up to the same level and it is the bounden duty of the Government to see to it that all these measures are implemented properly. With this, Sir, I hope that this Government will follow a new policy, a really constructive policy, a policy which will bring equality, a policy which will not sharpen the inequalities and disabilities. As regards the anti-reservation campaign that is going on, our Minister has amply clarified that that is going on perhaps on some misunderstanding. Perhaps it has been organised by some people who want to embarrass this Government because we are debating this issue, taking cue from this amendment. Perhaps some forces are there who could not see eye to eye with this Government, who do not like this Government coming to power. Perhaps they have organised this agitation and violent movement in different parts of the country and so some parts of the country are burning by violent agitations and the Government has clarified it. But it is not enough to clarify it in the House itself. They should go to the villages, they should go to different places and face the people and tell the people that the reservation for jobs is entirely a different matter. For that, constitutional provisions are not necessary. It can be done by an executive order. It is a constitutional matter only for political reservation for Parliament and the State Legislatures. With this, Sir, and with a hope of a new direction from this Government, I conclude and I support it.

श्री वीर भद्र प्रताप सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस संविधान संशोधन का समर्थन करने के लिए मैं इस सदन में खड़ा हुआ हूं और मैं श्री सुकोमल सेन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इंगित किया है कि संविधान संशोधन के महत्व की श्री राजीव गांधी जी ने, जो हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं; पूर्व में घोषणा कर दी थी और उसी घोषणा के उपरांत सत्ता-पक्ष का परिवर्तन हुआ और श्री राम विलास पासवान जी ने आज उसको पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की और संशोधन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया। श्री सुकोमल सेन जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब श्री राजीव गांधी जी की सरकार ने 10 वर्ष अभिवृद्धि की घोषणा की थी, तो यह सरकार भी तो उसी 10 वर्ष के सिद्धान्त का पालन कर रही है। शायद श्री हनुमंतप्पा जी ने कहा कि उन्हें भी यह आशा थी कि राम विलास पासवान एक समाजवादी चिन्तक हैं, वह आशा करते थे कि शायद

उनके चिन्तन के फलस्वरूप कोई क्रान्तिकारी कदम वह उठाएंगे, किन्तु यदि श्री राजीव गांधी जी की सरकार के कदमों को दोहराना ही श्री राम विलास पासवान जी का रास्ता है तो श्री सुकोमल सेन जी को यह आलोचना करने का अधिकार नहीं है, उनकी यह आलोचना उचित नहीं है। यदि आप हमारी सरकार की घोषणाओं, हमारी सरकार की दी हुई समयबद्धता को ही दोहराने के लिए सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपकी यह आलोचना उचित नहीं है। मैं आशा करता हूं कि हमारे मित्र श्री हनुमंतप्पा जी ने जो आशा की थी उनकी आशा के विपरीत काम नहीं करेंगे जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में आभास दिया है। मैं इस सिलसिले में उनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि एक साजिश चल रही है रिजर्वेशन के खिलाफ। तो किसने यह साजिश की ? संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष डा० अंबेदकर थे। क्या उन्होंने कोई साजिश चलाई थी कि पिछड़े लोग पिछड़े रहें ? क्या उस संविधान संशोधन समिति के सदस्यों में से कोई वेस्टेड इंटरेस्ट का कोई सदस्य बैठा था और यदि था तो मंत्री जी को उनका नाम लेना चाहिए था ताकि पिछले इतिहास का हम निरीक्षण करें।

श्रीमन्, भारत के संविधान निर्माण समिति में भारत के चुने हुए लोग बैठाए गए थे। वे सब भारत की उन्नति के प्रति कमिटमेंट वाले लोग थे। तो किसकी साजिश थी यह बताएं। कोई ऐसा वर्ग नहीं था। इसलिए मैं इस आलोचना को फेस करना चाहता हूं। महोदय, मैं इस चर्चा में आउंगा कि मालदीप जी के नगर से होकर मैं आ रहा हूं। उनकी जो जन्मभूमि है, वह मेरी कर्मभूमि है। वहां से यह आन्दोलन शुरू हुआ इलाहाबाद से। पासवान जी उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी जौनपुर भी गया था जहां किसी छात्र की हत्या हुई। मैं सुलतानपुर भी गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इस आन्दोलन के पीछे जो मनोविज्ञान है, उसको नहीं समझोगे और हमें कह दोगे तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इस आन्दोलन में उत्तर प्रदेश, बिहार और समस्त उत्तर भारत जलने लगेगा, वही ट्रेनें, वही बसें जलेंगी जो हमने आपके हाथों में सौंपी ; कोई नहीं कह सकता कि हमने ठीक से इनको नहीं चलाया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इस देश की जनता ने हमको सौंपी हैं, आपके पास हम नहीं आए मांगने के लिए... **(व्यवधान)**

श्री वीर भद्र प्रताप सिंह : मैं इससे सहमत हूं, यह न आपकी है, न हमारी है। हमने कहा कि हमने इनको अच्छा बनाया, अच्छा चलाया, हमने इस संपत्ति में वृद्धि की। हम ने बहुमत पार्टी होते हुए भी अल्पमत पार्टी को सत्ता सौंप दी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप बहुमत में नहीं हैं। बहुमत कहां है ?

श्री वीर भद्र प्रताप सिंह : वाजपेयी जी से हमको शिकायत नहीं है, शिकायत वामपंथी पार्टियों से है... **(व्यवधान)**

हमने उनकी कभी आलोचना नहीं की। मगर हमारे रास्ते पर राम विलास पासवान की सरकार चलती है तो हमसे क्यों दूरी कर ली। वही दस वर्ष का समय आपने किया है। हमारी ही नकल करनी है तो श्री हनुमंतप्पा जी ने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया कि अगर आप क्रान्तिकारी नेतृत्व नहीं दे सकते, अगर आपके चिन्तन में कोई सफाई नहीं है, अगर आप इन आन्दोलनों को गलत चश्मे से देखेंगे और आप यह समझेंगे कि यह सरकार विरोधी आन्दोलन नहीं है तो यह ठीक नहीं है। मैं शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन का समर्थन करते हुए आपसे दो प्रश्न करना चाहुगा। हमसे लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि जिन परिवारों के लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है वही परिवार रिजर्वेशन लेता चला जाता है। जिनकी झोंपड़ियों में रोशनी नहीं है, जो पिछड़े हैं, गरीब हैं उन तक इस रिजर्वेशन का लाभ क्यों नहीं

[श्री वीर भद्र प्रताप सिंह]

पहुंचता है ? जो आपकी सरकार है वह उन लोगों से रिजर्वेशन कैसे छीनेगी जो इस परिस्थिति का शोषण करके धनवान बन गये हैं ? इलाहाबाद का एक आदमी रिक्शा खींचकर अपना जीवन निर्वाह करता है उसके मुकाबले करोड़पति और अरबपति जो बन चुका है वही इस रिजर्वेशन का लाभ उठा रहा है । मैं यह दिल से पूछना चाहता हूं इसलिए मैं बोलने खड़ा हुआ हूं । शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन का लाभ केवल उन्हीं को मिलता जा रहा है जो पहले ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे के लोग पीछे ही रह जाते हैं । शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के संबंध में दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि आप यह कह कर मत बच जाइये कि आप नौकरियों के लिए नहीं कर रहे हैं । जनता को इस का ज्ञान है । जनता भलीभांति जानती है कि यह केवल असेम्बली और संसद में सीटों के आरक्षण के लिए ही नहीं है । अगर वह सही है तो फिर आंदोलन क्यों चल रहा है । वह यह भी जानना चाहते हैं कि जब आप आउट आफ टर्न नौकरी देते हैं तो आउट आफ टर्न प्रोमोशन क्यों कर दी जाती है ? ये दो प्रश्न मौलिक हैं क्योंकि प्रोमोशन के बारे में संविधान की किसी धारा में नहीं है कि आउट आफ टर्न प्रोमोशन दिया जाए । मैं जानता हूं सर्वोच्च न्यायालय की एक रूलिंग है । मैं सुप्रीम कोर्ट की आलोचना इस वक्त नहीं करूंगा । मगर यह जो आग लगी है इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । इन्हीं दो प्रश्नों का समर्थन करते हुए शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के मुख्य प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अगर आपके दिमाग में जातियुद्ध ही समाजवाद है तो जातियों के उत्थान से यह दिशा कभी प्राप्त नहीं होगी । यह संशोधन 334 के विरोध में आंदोलन नहीं है । यह आंदोलन है जो मौलिक धारा है संविधान के 15 और 16 पर परिच्छेद 3 में और जो विभेद कर रहे हैं समाज में उसके खिलाफ है । इस गलतफहमी को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए । हम नहीं चाहते हैं कि जिन ट्रेनों को हमने आपके हाथों में सौंपा है वह गलियों में जलाई जाएं, बसें जलाई जाएं, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई जाएं, उनकी जानें जायें । हम यह जरूर चाहते हैं कि समाज में जो विभेद आप पैदा कर रहे हैं और संविधान की मौलिक धारा 15 और 16 का गलत अर्थ लगा रहे हैं उसी की वजह से यह डिस्क्रिमिनेशन है वह संतोष की तरफ नहीं ले जा रहा है । संविधान ने केवल दो जातियों की बात की, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की तब आप जातिगत संरक्षण देने की बात क्यों करते हैं । हम जानते हैं पीछे जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दे दिया गया था तो इसी मुद्दे पर हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ कर जनता पार्टी की सरकार को गिराया था । यह जो धारा 15 में लिखा है 15(4) के अनुसार क्लास रिजर्वेशन राज्य सरकारें कर सकती हैं । अगर राज्य सरकारों का अधिकार केवल क्लास रिजर्वेशन तक ही निहित है तो किस आधार पर यह जातिगत रिजर्वेशन राज्य सरकारें करेंगी । नौकरियों के बारे में 16(4) में यही दिया गया है कि यह केवल क्लास रिजर्वेशन, क्लास सिटीजन की रिजर्वेशन की जा सकती है । राम विलास पासवान जी वर्ग संघ की भाषा को भूलिये मत । कांग्रेस में सन् 1934 में जब समाजवादी दल का सन् 1934 में जब समाजवादी दल का गठन हुआ था, मालवीय जी, मैं आपका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा तो आचार्य नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस का ही अभिन्न अंग थी । जब उसका निर्माण हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था और आचार्य जी ने कहा था कि हम वर्ग संघर्ष को अपनाएंगे (व्यवधान) । हम तो आप ही पर दुख प्रकट कर रहे हैं । आप तो हमारा साथ छोड़कर मिडिल वर्ग की पार्टी के साथ सटे हुए हैं... (व्यवधान) । उसका यह एक निहित सिद्धान्त था कि वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को कायम करना चाहिए । मैं समझता हूं कि कोई भी समाजवादी आन्दोलन उस चिन्तन से मुक्त नहीं है । श्री राम विलास पासवान जी जब आप कहते हैं कि संबंधित निर्माताओं में केवल

दलित वर्ग के लोग ही नहीं थे, बल्कि अन्य वर्गों के लोग भी थे । यह वर्ग क्या है ?

What is your stand on classification that you are propounding here? You are a socialist. Is it your socialist thinking?

यदि आपका मतलब वर्ग के मायने जाति है, यदि आपके चिन्तन में यह जाति है तो इस जाति से भारतवर्ष को आप कैसे मुक्त कर सकेंगे ? और यदि आप अगले आने वाले चुनावों की भाषा बोल रहे हों, विधान सभाओं के लिए केवल वोट की भाषा बोल रहे हों तो यह किसी क्रांतिकारी नेतृत्व की दिशा नहीं हुआ करती है । अभी हमारा नेतृत्व इधर बैठा है, फिर उधर बैठ जाएगा और आपको यहां आना पड़ेगा । कृपया आप अपनी भाषा को बदलिये । यह जो आन्दोलन चल रहा है, इसको कौन चला रहा है, इस पर अभी मत जाइये, उसके दृष्टिकोण और भावनाओं के पीछे जाइये । समाज में हम जो विषमतायें पैदा कर रहे हैं उनको ठीक कीजिये, डिस्क्रिमिनेशन को हटाइये, वर्ग संघर्ष की दिशा लीजिये, क्लास रिजर्वेशन कीजिये, गरीबों को ऊपर उठाइये । जाति यदि आपका आधार है तो आपका आरक्षण सही नहीं है और इससे जाति-युद्ध होगा । बिहार में यह इसीलिये हो रहा है । बिहार के हुक्मरानों ने जाति को ऊपर उठाकर ठीक नहीं किया । चाहे जो भी सत्ता में रहा हो, विरोधी पक्ष की सरकार भी वहां रही है, कर्पूरी ठाकुर की सरकार रही है । कर्पूरी ठाकुर की सरकार की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने भी जातिवाद को आधार बनाया । इसको तोड़ो, इसको मिलाओ, इसके वोट बढ़ा लो, इसको गिरा दो, आप इस आधार को नहीं बदलेंगे तो श्री राम विलास पासवान जी, इस तरह की बातें आपसे सुनकर हम दुखी हैं, हनुमनतप्पा जी दुखी हैं और अन्य लोग भी दुखी हैं।

अब मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि यह जो आन्दोलन चल रहा है, मैं भी उन दो-तीन आन्दोलनों में फंसा हूं इस वक्त उत्तर भारत में आग लगी हुई है । आप हमारी पार्टी को कह लें, हम आपको कह लें, इसका मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है । मैं आपसे आशा करता हूं कि जहां आपकी राज्य सरकारें हैं और जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, हमें इसको शीघ्रता से निपटाना चाहिए और इसको सही आधार देना चाहिए । उसका आधार संविधान में लिखा हुआ है, मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 और 16 में लिखा हुआ है । इसका हल ढूंढना होगा । लेकिन अगर हम इसका दूसरा हल निकालेंगे और वर्ग संघर्ष को त्याग कर जाति संघर्ष की दिशा को अपनायेंगे और वर्ग संघर्ष को जातिवाद समझेंगे तो यह जोड़-तोड़ दलों की सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी । दुख है कि हिन्दुस्तान को हैंग पार्लियामेंट मिली, दुख है कि अल्पमत की सरकार है । वाजपेयीजी चले गये, हम चाहते हैं कि वे आपकी मदद करते रहें और आप कुछ दिन खड़े रहें । मगर दिशा गलत मत दीजिये चिन्तन गलत मत दीजिये, यही विचारधारा दीजिये । आपसे हमें अपेक्षा थी लेकिन हम निराश हुए हैं । हनुमनतप्पा जी ने इसके बारे में शुरू में कहा है । इसलिये कृपया इस महत्वपूर्ण सवाल पर उत्तर भारत में यह जो आग लग रही है, उसको बुझाने की कोशिश कीजिये । धन्यवाद ।

SHRI DAVID LEDGER (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Amendment Bill. I feel that there has been a lot of misunderstanding and confusion about this whole affairs. The Constitution of India clearly provides for reservation of seats in the House of the people and the Legislative Assemblies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and representation of the Anglo-Indian community in the House of the People and the Legislative Assemblies. Articles 330, 331, 332 and also 333 are absolutely clear and specific in this regard. Article 334 which was amended in 1980 *vide* Constitution Forty-fifth Amendment Act, 1980 says that the provision for reservation for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and for representation of the Anglo-Indians in the House of the People and the State Assemblies shall

[Shri David Ledger]

cease to have effect on the expiry of a period of forty years from the commencement of the Constitution. The proposed Amendment, i.e. the Sixty-second Amendment only seeks to extend this period to 50 years, which means the provision will continue up to 26th of January, 2000. The Bill seeks nothing more. The anti-reservation stir in some parts of the country today, perhaps, is the fall-out of a misunderstanding which I have just mentioned. An impression is sought to be given in some parts of the country that the proposed Amendment also seeks to take within its purview the question of reservation in matters relating to appointments and jobs in services. But I would again reiterate that the provision of the Constitution of the country is very clear and specific even in this regard. Article 16, while dealing with the Fundamental Rights, i.e. equality of opportunity in matter of public employment, also provides in Clause (4)—i.e. Article 16(4) —for the appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes if they are, in the opinion of the State Government, not adequately represented. Article 335 provides for reservation of Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in services and posts and there is no time limit which has been specified in the Constitution. Article 46, while spelling out the Directive Principles of the State Policy, provides for the promotion of educational and economic interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections and for their protection from social injustice and all forms of exploitation. There is no question of diluting these provisions with the provisions of Article 334 of the Constitution. The proposed Amendment is, therefore, fully justified.

Sir, there are some technical reasons which in my view call for an Amendment of Article 334 within the session itself, for without this Amendment, without the proposed Amendment, there might be serious difficulties in conducting the elections in the Legislative Assemblies in the coming months. The existing provision will expire on 25th January, 1990, and immediately thereafter all the constituencies will become general constituencies; there will be no reserved constituencies as such. This, I feel, Mr. Vice-Chairman, Sir, might result in serious social strains and tensions. There are, in my view, no two opinions about the fact that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are still backward and weak in many respects even after four decades of independence of this country. It is necessary to bring the people belonging to these communities to the level of the other communities throughout the country. The framers of the Constitution, in their wisdom, appreciated this point very well. This itself justifies the Amendment of Article 334 as proposed by the Government. I, therefore, call upon all the hon. Members from both the sides to support the Bill. And I also call upon the Government to implement the provisions in right earnest. Thank you, Sir.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन में संविधान के बासठवें संशोधन विधेयक पर विचार हो रहा है । मैं और मेरी पार्टी इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करती है । वह इसलिए करती है कि यह जो परम्परा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने डाली थी कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन पर जुल्म होता है शोषण होता है, अन्याय होता है जिनको समाज में समानता के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं जो समाज में तिरस्कृत हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए । यह कांग्रेस परम्परा के मोताबिक है । इसलिए कांग्रेस पार्टी और मैं इसका समर्थन करते हैं । माननीय पासवान जी बड़े क्रान्तिकारी भाषण देते रहे हैं सारे समाज को बदल कर शोषणमुक्त समाज बनाने की बात करते रहे हैं उनसे मुझे बहुत आशा थी लेकिन जब मैंने यह संविधान संशोधन देखा तो उन्होंने संशोधन के बारे में कोई क्रान्तिकारी कदम समाजों को बदलने के लिए जिसमें हरिजनों न्याय मिले उनके साथ इन्साफ हो वह सारी चीजें इस संशोधन में परिलक्षित होनी चाहिये थे वह नहीं हुई । वह सब क्रान्तिकारी ख्याल कहां चले गये ? मुझे

खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की जो परम्परा थी जो कांग्रेस सरकार ने बुनियाद डाली थी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उपकार के लिए, समानता के लिए, समाज को शोषणमुक्त बनाने के लिए यह बिल उसी की पुनरावृत्ति है । इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं था । इसके लिए मैं अपनी कांग्रेस पार्टी को इस सदन के अन्दर दाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सचमुच हिन्दुस्तान के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी उन्नति की नब्ज पर कांग्रेस पार्टी का हाथ है । इसलिए आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को लोग याद करते हैं । आज सारे देश के अन्दर एजीटेशन की बात चल रही है कि यह रिजर्वेशन खत्म किया जाए । आज आन्दोलन इस बात का चल रहा है कि इस रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि यह क्यों हो रहा है । आज उनको इस बात का बल मिल रहा है कि मौजूदा सरकार के दिल में हरिजनों के लिए कोई जगह नहीं है । आप जानते हैं कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहीं पर रिजर्वेशन के खिलाफ आन्दोलन चलाए गए थे चाहे गुजरात हो या कोई दूसरा राज्य हो वहां पर विरोधी दलों ने लोगों को भड़का कर रिजर्वेशन के विरुद्ध आन्दोलन चलाए थे । उन्हीं के द्वारा यह बीज बोया गया था उन्हीं की सरकार को यह भुगतना पड़ रहा है। यह मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है । उत्तर प्रदेश में जहां आज जनता दल की सरकार है वहां पर जो आन्दोलन चल रहा है । उस आन्दोलन को दबाने में वहां की वर्तमान सरकार असमर्थ है, फेल है । मालूम पड़ता है कि वहां कोई सरकार नहीं है, शासन नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है चाहे आन्दोलन कारी रेल को जला दें, डाकखाने को जला दें, लोगों को मार दें, दुकानों को जला दें, सामान को लूट लें । यह सब किस लिए हो रहा है इसलिए हो रहा है कि वर्तमान सरकार की नियत साफ नहीं है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वह इस बात को जानते हैं कि अगर उनके अधिकारों पर उनको मिलने वाले इन्साफ पर कुठाराघात होगा तो समाज का यह हिस्सा भी खामोश बैठा नहीं रह सकता है । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कहीं यह सिविल वार न हो जाए समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वह अभी समाज में समानता के लेवल पर नहीं आए हैं । मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां और इतिहास आप देखें तो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले और बाद अगर कोई कांग्रेस का लक्ष्य था चाहे महात्मा गांधी हों, जवाहर लाल नेहरू हों, मोती लाल नेहरू हों या लाला लाजपत-राय हों इन सब की मंशा थी कि देश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इन्साफ में समानता मिले । यह उनकी नीयत सदैव रही । मैं आज फिर दोहराता हूं । मान्यवर, आप कांग्रेस पार्टी के शासन की बहुत सारी खामियां निकाल सकते हैं कांग्रेस शासन की कमजोरियों की तरफ इशारा कर सकते हैं लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपकार के लिए उनके भले के लिए कोई भी कांग्रेस पार्टी की नीयत पर शक नहीं कर सकता । जो देश के गरीब लोग हैं अनुसूचित जाति के लोग हैं वह कांग्रेस पार्टी के शुक्रगुजार हैं और हृदय से उनके शुक्रगुजार हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप कितना समय और लेंगे ?

चौधरी हरि सिंह : अभी तो दो तीन मिनट हुए हैं । मैं लंच के बाद बोल लूंगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You can continue after lunch. We adpourn now and we will meet again at 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at thirty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock,

The Deputy Chairman in the Chair.

CONSTITUTION (SIXTY-SECOND AMENDMENT) BILL, 1989—contd.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform the Members that the Minister of External Affairs will make a statement regarding U.S. intervention in Panama at 5.20 p.m.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: (Uttar Pradesh): Is it invasion or intervention?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It says 'intervention'.

SHRI RAOOF VALIULLAH: (Gujarat): Will the Minister intervene or is it about intervention?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Why is he afraid of calling it 'invasion'?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not know.

Yes, Mr. Hari Singh to continue.

चौधरी हरि सिंह : माननीया डिप्टी चेयरमैन साहिबा, तो मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा... **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : महोदया, संबंधित मंत्री जी नहीं हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हैं, हैं ।

एक माननीय सदस्य : वहां तो सारे लोग मंत्री हैं । आप फिक्र मत कीजिए ।

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): I am taking down.

चौधरी हरि सिंह : माननीय महोदया, जब सदन में चर्चा हो रही थी; तो मेन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने और उन्हें सुयोग्य बनाने के लिए; समानता के सिस्टम को लाने के लिए चर्चा चल रही थी; तो जिक्र आया था कई बार—तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में इस देश के अंदर जो गरीब लोग थे, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग थे; जिनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा और समानता के लिए कोई अवसर नहीं था—समानता की बात तो छोड़ दीजिए; समाज में आदरपूर्वक और सम्मानपूर्वक जीने का भी जिनको हक नहीं था, तो कांग्रेस की सरकार ने उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो बहुत बुनियादी चीजें होती हैं, आर्थिक, सामाजिक और समानता के कानूनी उनके सिद्धांत अपनाये राष्ट्र की लोक सभा; राज्य सभा, विधान सभाओं, विधान परिषदों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पहुंचाने के लिए कानून बनाकर उन्हें वहां का सदस्य; मंत्री बनाया जाएं । यही नहीं, अगर आप गौर से देखें, तो उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के लिए; आर्थिक और सामाजिक कोई जीवन का क्षेत्र ऐसा नहीं बचा, जिसमें कि पिछली सरकार ने मूलभूत कार्य न किये हों जिसमें दलितों का उत्थान हो सके । और मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार की जो नीति इनको मुख्य धारा में लाने की रही, जो कार्यक्रम रहे, प्रोग्राम रहे, चाहे 20 प्वायंट प्रोग्राम था, चाहे वह विशेष अधिकारी नियुक्त करने का था, चाहे टाइम-बाउंड प्रोग्राम के अन्दर रिजर्व सीट्स को पूरा करने का था, यह सब इस बात का द्योतक हैं, इंडीकेट करता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को, कांग्रेसजनों की दलितों के उत्थान की किस कद्र चिंता थी । पिछले दिनों में देखा कि रिजर्वेशन में जो सीट्स खाली पड़ी चली आ रही थीं सर्विसेज में उनको पूरा करने के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम चलाया गया । मेरा यह आग्रह इस मौजूदा सरकार से भी है कि यह काम अधूरा रह गया और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी अब इस मौजूदा सरकार पर है । मुझे आशा है कि मौजूदा सरकार इस समय जो रिजर्व सीटें हैं जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है उनको पूरा करेगी । अभी हमारे माननीय